1919 ई. का भारतीय अधिनियम
(THE INDIAN ACT OF 1919 A. D.)

1919 ई. में सरकार द्वारा एक अन्य अधिनियम पारित किया गया जो **मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम** (Montague-Chelmsford Act) के नाम से प्रख्यात है। चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय था तथा मॉण्टेग्यू भारत सचिव। इन्हीं के नाम पर इस अधिनियम का नाम पड़ा था।

1919 ई. के अधिनियम को पारित किए जाने के लिए **निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे :**

(1) **मोर्ले-मिण्टो सुधार अधिनियम के प्रति असन्तोष** (Discontent due to Morley-Minto Reforms Act)—1909 ई. में पारित मोर्ले-मिण्टो अधिनियम से भारतीयों को बहुत अपेक्षाएं थीं, किन्तु इसके पारित होने पर भारतीयों को घोर निराशा हुई। **भारतीय स्वशासन** (Home Rule) की मांग कर रहे थे, किन्तु अंग्रेजी सरकार कुछ भी देने को तैयार न थी। अतः भारतीयों में व्यापक असन्तोष का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था।

(2) **प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव** (Effects of First World War)—प्रथम विश्वयुद्ध का भारतीय राजनीति पर व्यापक प्रभाव पड़ा। भारतीयों ने अंग्रेजी सरकार से तमाम मतभेद होते हुए भी इस युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की तथा विभिन्न मोर्चों पर असाधारण वीरता का परिचय दिया। अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि यह युद्ध वे प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। इस युद्ध में भाग लेकर भारतीयों में प्रजातान्त्रिक भावनाएं प्रबल हुईं। जिस प्रकार से भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, उससे उन्हें विश्वास होने लगा था कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात् भारत को **स्वायत्त शासन** (Home Rule) दे दिया जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध का एक अन्य परिणाम यह हुआ कि इससे भारतीय मुसलमान अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें छला था। अतः हिन्दू-मुसलमानों में पारस्परिक सहयोग बढ़ा। अतः 1919 ई. का अधिनियम पारित करके अंग्रेजों ने भारतीयों को सन्तुष्ट करने का प्रयास किया।

Scanned by CamScanner

(3) **क्रान्तिकारी आन्दोलन** (Terrorist Movement)—1909 ई. के अधिनियम के कारण भारतीयों में असन्तोष बढ़ा। परिणामस्वरूप अनेक उग्रवादी अब क्रान्तिकारियों में परिणत होने लगे। रासबिहारी बोस ने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। विदेशों में भी क्रान्तिकारियों ने अपने अड्डे स्थापित किए तथा भारत में क्रान्तिकारी गतिविधियों के कार्यान्वयन में सहायता दी। इस दिशा में '**गदर दल**' (Gadar Party) का नाम उल्लेखनीय है। इसकी सहायता से क्रान्तिकारियों ने सरकार का तख्ता उलटने का प्रयास किया। बढ़ते हुए आतंकवाद से अंग्रेजी सरकार भयभीत हो गयी तथा भारतीयों को सन्तुष्ट करने के उद्देश्य से 1919 ई. का अधिनियम पारित किया।

(4) **उदारवादियों व उग्रवादियों में समझौता** (Congress reunited)—1907 ई. में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों में मतभेद उत्पन्न हो गया तथा कांग्रेस दो भागों में विभक्त हो गयी—उदारवादी (Moderates of Liberals) तथा उग्रवादी (Extremists)। कांग्रेस के इस विभाजन का सरकार ने लाभ उठाया व उग्रवादी आन्दोलन व नेताओं का कठोरतापूर्वक दमन कर दिया। एनीबेसेण्ट ने इस स्थिति को भांपा तथा कांग्रेस को पुनः एक करने का प्रयास किया। एनीबेसेण्ट को अन्ततः अपने उद्देश्य में सफलता मिली तथा 1916 ई. में कांग्रेस पुनः एक हो गयी। इस प्रकार पुनः सशक्त हुई कांग्रेस ने एक बार फिर अंग्रेजी सरकार का विरोध करना प्रारम्भ कर दिया। अतः 1919 ई. का अधिनियम पारित कर सरकार ने भारतीयों को सन्तुष्ट करने का प्रयास किया।

(5) **लखनऊ समझौता** (Lucknow Pact)—1909 ई. के अधिनियम ने हिन्दू व मुसलमानों की दूरी को बढ़ा दिया था। अंग्रेजों ने मुसलमानों के मन में यह भरने का प्रयास किया कि हिन्दू उनका भला नहीं चाहते, किन्तु 1912 ई. में जब बंगाल के विभाजन को समाप्त कर दिया गया तो मुसलमानों को गहरा आघात पहुंचा व वे पुनः कांग्रेस के समीप आने का प्रयत्न करने लगे। अन्ततः 1916 ई. में लखनऊ में कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता हो गया, जिसे '**लखनऊ समझौता**' (Lucknow Pact) कहा गया। **कांग्रेस व मुस्लिम लीग का समझौता कराने में तिलक, एनीबेसेण्ट व जिन्ना का प्रमुख हाथ रहा था।** कांग्रेस व मुस्लिम लीग के समझौते से सरकार घबरा गयी व भारतीयों को शान्त करने के उद्देश्य से उसने 1919 ई. का अधिनियम पारित किया।

(6) **महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में पदार्पण** (Mahatma Gandhi enters into Indian Politics)—महात्मा गांधी 1915 ई. में दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए। भारत की स्थिति को समझने में उन्होंने लगभग दो वर्ष का समय लगाया, तत्पश्चात् वे सक्रिय राजनीति में उतर आए तथा भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल करने लगे। अंग्रेज सरकार महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सफलता देख चुकी थी, अतः उनकी क्षमता से परिचित थी। अतः इस अधिनियम को पारित करने के लिए सरकार विवश हुई।

(7) **होमरूल आन्दोलन** (Home Rule Movement)—भारतीय काफी समय से स्वशासन की मांग कर रहे थे।1915 ई. में तिलक ने पूना में व एनीबेसेण्ट ने मद्रास में '**होम रूल लीग**' (Home Rule League) की स्थापना की तथा होम रूल आन्दोलन आरम्भ किया। यह आन्दोलन शीघ्र ही अत्यधिक प्रबल हो गया। अनेक प्रमुख नेताओं ने भी इसका समर्थन किया। इस आन्दोलन ने सम्पूर्ण भारत में राष्ट्रीयता की भावनाएं प्रवाहित कर दीं। अंग्रेजी सरकार शक्तिशाली होते हुए इस आन्दोलन से घबरा उठी व एनीबेसेण्ट को बन्दी बना लिया गया, किन्तु इसका परिणाम उल्टा हुआ। सम्पूर्ण भारत में आन्दोलन और अधिक शक्तिशाली हो उठा।

अन्ततः उपरोक्त सभी कारणों के परिणामस्वरूप भारत सचिव मॉण्टेग्यू ने घोषणा की, **क्राउन की यह नीति है और भारत सरकार भी इससे पूर्णतया सहमत है कि शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त कर साम्राज्य के अन्तर्गत भारतवर्ष में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए और स्वशासन की संस्थाएं क्रमशः उन्नत बनायी जाएं।**''

1919 ई. के अधिनियम की प्रमुख धाराएं
(MAIN PROVISIONS OF THE ACT OF 1919 A. D.)

1907 ई. में की गयी भारत सचिव मॉण्टेग्यू की घोषणा के आधार पर ही 1919 ई. अधिनियम की धाराओं का निर्माण किया गया। 1919 ई. के अधिनियम की प्रमुख धाराएं निम्नलिखित थीं :

(1) भारत सचिव व इंग्लैण्ड की संसद द्वारा भारतीय शासन पर नियन्त्रण में कमी की गयी। भारत सचिव के कार्यालय का सम्पूर्ण खर्चा भी ब्रिटिश राजस्व से ही लिया जाना था। इससे पहले यह खर्चा भारतीय राजस्व से लिया जाता था, जिसका भारतीय विरोध कर रहे थे।

(2) इंग्लैण्ड में भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में एक नवीन पद का सृजन किया गया। इस नए पदाधिकारी को **भारतीय उच्चायुक्त** (Indian High Commissioner) कहा गया। भारतीय उच्चायुक्त को भारत सचिव से अनेक अधिकार लेकर दे दिए गए। भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति भारत सरकार

Scanned by CamScanner

द्वारा की जानी थी तथा उसका खर्च भी भारत को ही वहन करना था।

(3) गवर्नर जनरल व गवर्नरों के अधिकारों में वृद्धि की गयी जिनका उपयोग वे स्वेच्छा से कर सकते थे।

(4) भारतीयों की यह मांग कि साम्प्रदायिक चुनाव पद्धति (Communal Electoral System) को समाप्त कर दिया जाए को स्वीकार नहीं किया गया। इसके विपरीत इस प्रणाली को और बढ़ावा दिया गया।

(5) केन्द्रीय शासन व्यवस्था में उत्तरदायी शासन लागू नहीं किया गया। अतः केन्द्रीय शासन पूर्ववत् स्वेच्छाचारी तथा नौकरशाही (Bureaucracy) के नियन्त्रण में ही रहा।

(6) गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया।

(7) एक सदन (House) वाले केन्द्रीय विधान मण्डल का पुनर्संगठन किया गया। अब दो सदन वाले विधान मण्डल की व्यवस्था की गयी। उच्च सदन को **राज्य परिषद** (Council of State) तथा निचले सदन को **केन्द्रीय विधानसभा** (Central Legislative Assembly) कहा गया।

(8) केन्द्रीय विधान सभा में 143 सदस्य तथा राज्य परिषद में 60 सदस्य होते थे। दोनों सदनों में निर्वाचित सदनों का बहुमत रखा गया और चुनाव पद्धति प्रत्यक्ष कर दी गयी। केन्द्रीय विधान सभा का कार्यकाल 3 वर्ष तथा राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष था। इस कार्यकाल को गवर्नर जनरल बढ़ा सकता था।

(9) प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति को लागू किया गया।

(10) केन्द्रीय विधान मण्डल को विस्तृत अधिकार दिए गए जिनमें प्रमुख कानून बनाने, कानूनों में परिवर्तन करने तथा बजट पर बहस आदि प्रमुख थे।

(11) इस अधिनियम से देशी रियासतों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

(12) **प्रान्तों में उत्तरदायी शासन लागू करने का प्रयत्न किया गया।** प्रान्तीय मामलों में स्वायत्तता प्रदान की गयी। इसे अग्रवत् तालिका से समझा जा सकता है :

भारतीय प्रशासन
(Indian Administration)

केन्द्रीय विषय	प्रान्तीय विषय
• सुरक्षा	• चिकित्सा
• विदेशी मामले	• सार्वजनिक स्वास्थ्य
• राजनीतिक सम्बन्ध	• सफाई
• वित्त आदि	• शिक्षा आदि

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि महत्वपूर्ण विषयों को केन्द्र के अधीन ही रखा गया था।

(13) प्रान्तीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गयी। प्रत्येक में निर्वाचित सदस्यों को बहुमत प्रदान किया गया।

(14) इस अधिनियम के द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य प्रान्तों में **द्वैध प्रशासन प्रणाली** (Dyarchy) का लागू किया जाना था। इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्रान्तीय विषयों (Provincial Subjects) को दो भागों में बांटा गया—**संरक्षित विषय** (Reserved Subjects) तथा **हस्तान्तरित विषय** (Transferred Subjects)। संरक्षित विषयों को गवर्नर की कार्यकारी परिषद (Executive Council) के अधीन किया गया। इन विषयों पर प्रान्तीय विधानसभाओं का नियन्त्रण नहीं था। हस्तान्तरित विषयों पर विधानसभाओं के मन्त्रियों द्वारा प्रशासन किया जाना था। ये मन्त्री विधानसभाओं के प्रति उत्तरदायी थे। **संरक्षित विषयों में प्रमुख**—पुलिस, न्याय-व्यवस्था, वित्त, सिंचाई, भू-राजस्व, शान्ति-व्यवस्था, उद्योग, जेल, समाचार-पत्र सेन्सर थे। **हस्तान्तरित विषयों में प्रमुख**—सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, कृषि समितियां व स्थानीय प्रशासन थे। इस अधिनियम द्वारा

प्रान्तों में द्वैध शासन प्रणाली (Dyarchy in the Provinces)

कुल विषय (Total Subjects)

संरक्षित विषय		हस्तान्तरित विषय	
• पुलिस • न्याय-व्यवस्था • वित्त • सिंचाई • भू-राजस्व • शान्ति-व्यवस्था • उद्योग • जेल, इत्यादि	**कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित** (To be ruled by the Executive Council responsible to the Governor)	• सार्वजनिक स्वास्थ्य • सफाई • चिकित्सा • शिक्षा • कृषि • कृषि समितियां • उद्योग • स्थानीय प्रशासन	**मन्त्रियों द्वारा प्रशासित** (To be ruled by the Ministers responsible to the Assembly)

Scanned by CamScanner

प्रान्तों में स्थापित की गयी द्वैध शासन प्रणाली को उपर्युक्त तालिका से समझा जा सकता है।

तालिका से स्पष्ट है कि सब महत्वपूर्ण विषयों को संरक्षित विषय बनाकर कार्यकारी परिषद् के अधीन रखा गया था।

(15) इस अधिनियम के द्वारा एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गयी। भारत सचिव को इस आयोग की नियुक्ति का कार्य सौंपा गया।

(16) इस अधिनियम के लागू किए जाने के 10 वर्षों के अन्दर ही एक आयोग की नियुक्ति की जानी थी जिसका कार्य इस अधिनियम के प्रति प्रतिक्रियाओं की रिपोर्ट इंग्लैण्ड की संसद को देना था।

1919 ई. के अधिनियम का मूल्यांकन
(EVALUATION OF THE ACT OF 1919 A. D.)

1919 ई. के अधिनियम का भारतीय संवैधानिक इतिहास में बहुत महत्व है। इसने कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए; इसी कारण कुछ इतिहासकारों ने इसे भारतीय संविधान का '**ब्लू प्रिण्ट**' माना है। श्रीनिवासन ने लिखा है, "**यह नौकरशाही शासन की पद्धति का प्रथम उल्लंघन और प्रतिनिध्यात्मक शासन का वास्तविक प्रारम्भ था।**" इस अधिनियम में निम्नलिखित प्रमुख गुण थे :

(i) दो सदनों वाली केन्द्रीय सभा की स्थापना की गयी जिससे भविष्य में संवैधानिक विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ।

(ii) इस अधिनियम के द्वारा मताधिकार (Franchise) को विस्तृत किया गया। इससे जनसाधारण अपने अधिकारों के प्रति सजग हुआ तथा भारत में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ।

(iii) भारतीयों को प्रान्तों में उत्तरदायी प्रशासन करने का पहली वार अवसर प्रदान किया गया। विभागों के राजनीतिक अध्यक्ष भारतीयों के होने के कारण सेवाओं के भारतीयकरण में सहायता मिली।

(iv) प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति की भारतीय काफी समय से मांग कर रहे थे। उनकी इस मांग को इस अधिनियम में स्वीकार कर लिया गया।

(v) भारत सचिव का खर्चा अव तक भारतीय राजस्व से लिया जाता था। भारतीय इसका विरोध करते थे। इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् भारत सचिव का खर्चा इंग्लैण्ड के राजस्व से ही लेना तय हुआ।

(vi) भारत सचिव के अधिकारों में कमी की गयी।

इस अधिनियम में गुणों की अपेक्षा दोष अधिक थे, इसी कारण भारतीयों द्वारा इसकी कटु आलोचना की गयी। एनीवेसेण्ट ने इसकी आलोचना करते हुए लिखा, "**अंग्रेजों द्वारा अधिनियम को पारित करना व भारतीयों द्वारा स्वीकार करना दोनों ही बातें अनुचित हैं।**" इस अधिनियम के कुछ प्रमुख दोष निम्नांकित थे :

(i) केन्द्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की गयी थी।

(ii) इस अधिनियम ने साम्प्रदायिकता को बढ़ाया।

(iii) 1920 ई. में वर्षा बहुत कम हुई थी, अतः भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी न थी इसके अतिरिक्त तत्कालीन भारत का राजनीतिक वातावरण भी किसी भी प्रकार के संवैधानिक परीक्षण के लिए उचित न था क्योंकि रौलट एक्ट व जलियांवाला काण्ड के कारण सम्पूर्ण भारत में आन्दोलन हो रहे थे। ऐसे प्रान्तों में द्वैध शासन प्रणाली (Diarchy) लागू करना अनुचित था।

(iv) द्वैध शासन प्रणाली सिद्धान्ततः दोषपूर्ण थी। एक ही प्रान्त में दो शासन करने वाली संस्थाएं कैसे कार्य कर सकती हैं? द्वैध शासन प्रणाली के अन्तर्गत यही किया गया था, अतः इसका असफल होना स्वाभाविक था।"

(v) द्वैध शासन प्रणाली के अन्तर्गत विषयों का विभाजन भी अत्यन्त अतार्किक एवं अव्यावहारिक था। ऐसे विभाग जो एक-दूसरे से सम्बन्धित थे, अलग-अलग संस्थाओं के अधीन कर दिए गए थे। उदाहरण के लिए, सिंचाई व कृषि का अभीष्ट सम्बन्ध है, किन्तु दोनों को अलग-अलग कर दिया गया था। मद्रास के तत्कालीन मन्त्री श्री के. वी. रेड्डी ने लिखा है, "**मैं विकास मन्त्री था, किन्तु वन विभाग हमारे अधिकार में नहीं था। मैं कृषि मन्त्री था, किन्तु सिंचाई विभाग पृथक् था।**"

(vi) हस्तान्तरित विषयों के लिए पृथक् वित्त की व्यवस्था नहीं थी।

(vii) गवर्नर को अत्यधिक शक्ति प्रदान की गयी थी। गवर्नर किसी भी मन्त्री के प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता था।

(viii) गवर्नर के पास अत्यधिक अधिकार होने के कारण नौकरशाही मन्त्रियों व उनके आदेशों की चिन्ता नहीं करते थे।

अतः उपरोक्त कारणों से 1919 ई. का अधिनियम भारतीयों की अपेक्षाओं को शान्त करने में असफल रहा। कूपलैण्ड ने 1919 ई. में प्रान्तों में स्थापित द्वैध शासन प्रणाली की आलोचना करते हुए लिखा है, "**द्वैध शासन अपने रचयिताओं के प्राथमिक उद्देश्य को पूरा करने में असफल रहा। यह भारतीय जनता को उत्तरदायी शासन का वास्तविक प्रशिक्षण प्रदान न कर सका।**"

1935 ई. का अधिनियम
(ACT OF 1935)

पारित होने के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां (Conditions for the Passing of the Act)—भारत सरकार ने 1919 ई. में मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित किया था। भारत सरकार का विचार था कि इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को

Scanned by CamScanner